रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 512] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 1982/कार्तिक 18, 1904
No. 512] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 1982/KARTIKA 18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1982

का०आ० 789(अ) 18 एफ० ए०/18 ए० ए०/आई० डी० आर० ए०/82.—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 641 (अ) /18 चक/18कक/ आई० डी० आर० ए०/78, तारीख 10 नवम्बर, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटोकेमिकल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, इलाको हाउस तीसरी मंजिल 1 और 3 ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-700001 को मैसर्स डा० पाल लोहमान (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता, नामक औद्योगिक उपक्रम का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) सम्पूर्ण प्रबंध 10 नवम्बर, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने को प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन था कि उक्त वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटोकेमिकल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध बढ़ाई गई तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी करती रहे, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन किया और उसमें उक्त प्रबन्ध को एक वर्ष की और अवधि के लिए बनाए रखने के लिए प्रार्थना की;

और उक्त उच्च न्यायालय ने तारीख 5 नवम्बर, 1981 के अपने आदेश द्वारा उक्त वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एंड फिटोकेमिकल डिवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध एक वर्ष की और अवधि के लिए करते रहने की अनुज्ञा दे दी थी;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 793 (अ) /18कक/आई० डी० आर० ए०/81, तारीख 9 नवम्बर 1981 ने उक्त वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटोकेमिकल डिवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 10 नवम्बर, 1981 से छह मास की और अवधि के लिए करते रहने के लिए प्राधिकृत किया;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 312 (अ) तारीख 8 मई, 1982 ने उक्त वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटोकेमिकल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 10 मई, 1982 से छह मास की और अवधि तक करते रहने के लिए प्राधिकृत किया;

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है कि उक्त वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एंड फिटोकेमिकल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध बढ़ाई गई चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी करती रहे उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा

18 धक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन किया और उसमें उक्त प्रबन्ध को एक वर्ष की और अवधि के लिए बनाए रखने के लिए प्रार्थना की;

और उक्त उच्च न्यायालय ने, तारीख 8 नवम्बर 1982 के अपने आदेश द्वारा उक्त वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एंड फिटोकेमिकल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उक्त उच्च न्यायालय द्वारा इसमें इसके पश्चात उपांतरणों के अधीन रहते हुए एक वर्ष की और अवधि के लिए करते रहने की अनुज्ञा दे दी थी;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 धक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 10 नवंबर 1982 से जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 4 (2)/80 सी० मुं० एस०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th November, 1982

S.O. 789(E)18FA/18AA/IDRA/82—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O.641(E)/18 FA/18AA IDRA/78 dated the 10th November, 1978, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the West Bengal Pharmaceutical and Phytochemical Development Corporation Limited, Ilaco House(2nd floor) 1 and 3, Barbourne Road, Calcutta-700001, to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs DR. Paul Lohmann (India) Limited, Calcutta, (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), for a period of three years commencing from the 10th November, 1973;

And whereas the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of the general public that the said West Bengal pharmaceutical and Phyto chemical Development Corporation Limited should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the period of three years aforesaid, made an application under the proviso to sub section (2) of section 18 FA of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951) to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of one year;

And whereas the said High Court by its order dated the 5th November, 1981, permitted the said West Bengal pharmaceutical and phytochemical Development Corporation Limited to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year;

And whereas the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No.S.O. 793(E)/18FA/IDRA/81,dated the 9th November, 1981 authorised the said West Bengal pharmaceutical and phytochemical Development Corporation Limited to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months from the 10th November, 1981;

And Whereas the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No.S.O.312(E) dated the 8th May, 1982, authorised the said West Bengal pharmaceutical and phytochemical Development Corporation Limited to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months from the 10th May, 1982;

And whereas the Central Government, being of the opinion that it is expedient in the interest of the general public that the said West Bengal Pharmaceutical and phytochemical Development Corporation Limitted should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the period of four years, as extended, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18 FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of said management for a further period of one year;

And whereas the said High Court by its order dated the 8th November, 1982 permitted the said West Bengal pharmaceutical and phytochemical Development Corporation Limited to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year, subject to the modification hereinafter by the said High Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section(2) of Section 18 FA of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period of one year, on and from the 10th November, 1982.

[F. No. 4(2)/80-cus]

A. P. SARWAN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982